न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
95 / 2025	22 / 05 / 2025	14 / 10 / 2025

जगदीश नारायण पुत्र काना
हरिनारायण पुत्र काना
समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

2. प्रताप नगर हाउसिंग कॉ–ऑपरिटिव सोसायटी लि0 जयपुर जरिये अध्यक्ष श्री आशीष प्रसोया पुत्र रामधन प्रसोया जाति बैरवा निवासी रैगरों का मोहल्ला कुंदनपुरा जयपुर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

<u>उपस्थित अभिभावक</u>
श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम</u>

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की
तेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 92 रकबा 1.2139है0 जिनके साबिक खसरा नम्बर 92 स्थित ग्राम
नोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण पूर्व राजस्व नक्शे
ुसार काबिज काश्त चले आ रहे है तथा भूमि के चारों ओर गडडू गाउ कर तारबन्दी कर रखी है
ा वर्तमान मे भी काबिज है तथा काश्त कर रहे है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की विरासती खातेदारी
मे है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से काबिज काश्त है तथा वर्तमान मे भी काबिज
ने आ रहे है तथा सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि का नवीन नक्शा कायम किया गया है वह
र्थीगण के कब्जे काश्त व मौका स्थिति के विपरित व पूर्व नक्शे के विपरित जाते हुये कायम किया
जिसका अधिकार प्रतिवादी सं0 1 के कर्मचारियों को नहीं है। क्योकि राजस्व कर्मचारीयों द्वारा
क्त भूमि का नवीन नक्शा बनाते समय ना तो प्रार्थीगण को मौके पर बुलाये और ना ही प्रार्थीगण से
छताछ किये और ना ही प्रार्थीगण के पूर्व से चले आ रहे कब्जे व ना ही पूर्व नक्शें का अवलोकन
या और बिना किसी अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा कब्जे काश्त के अनुसार न करके
था पूर्व नक्शे का अवलोकन न करके लगभग 1 बीघा भूमि का नक्शा छोटा कायम किया गया है
था अप्रार्थी सं0 2 की भूमि का नक्शा लगभग 1 बीघा भूमि का नक्शा बढा करते हुये कायम किया
या और उस पर प्रार्थीगण का वर्षो पुराना कब्जा चला आ रहा है जिसके बावजूद राजस्व
र्मचारियों ने बिना मौके व पूर्व नक्शें का अवलोकन किये बिना ही नवीन नक्शा कायम कर दिया है
ो कि एक प्रकार की लिपिकीय भूल है जिसको दुरूस्त करवाने के अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है।
ार्थीगण द्वारा जब मौके पर नवीन नक्शें के आधार पर भूमियों की नापझोक करता है तो राजस्व
रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज रकबे के अनुसार मौके पर भूमि कम पडती है तथा जो नवीन नक्शा कायम
किया गया है वह पूर्व नक्शे के विपरित जाते हुये नवीन नक्शा छोटा बनाया गया है तथा अप्रार्थी सं0
की भूमि को नक्शा बढा करते हुये कायम कर दिया गया है। जिसका राजस्व कर्मचारियो को
कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था जबकि प्रार्थीगा पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त व पूर्व नक्शे के
अनुसर काबिज है तथा काश्त कर रहे है जिसको प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व पूर्व नक्शें के अनुसार
दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 1.
2139है0 जिनके साबिक खसरा नम्बर 92 स्थित ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर को
कब्जे काश्त व पूर्व नक्शें के विपरित जाकर बनाये गये नवीन नक्शें को दुरूस्त किया जाकर पूर्व

Scanned with OKEN Scanner

वक्शें राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रकबे व वर्षों से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार नक्शा दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाई गई। अप्रार्थीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावूजद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/7885 दिनांक 18.09.25 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने जवाब मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मानोता के खसरा नम्बर 92 रकबा 1.2139है0 भूमि जगदीश नारायण पुत्र काना, हरिनारायण पुत्र काना की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 92 के साबिक खसरा नम्बर 155, 156, 157, 160, 16, 164, 165, 173 रहे। जिसका साबिक नक्शा व हाल नक्शा में मिलान करने पर अन्तर प्रतीत होता है। खसरा नम्बर 92 का मूल नक्शा चकतराशि सन् 1941–42) अनुसार मिलान से लाल रंग द्वारा प्रदर्शित क्षेत्रफल का अन्तर पाया गया है। जिसे मूल नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 92 में शामिल किया जाना उचित होगा। हाल खसरा नम्बर 92 को संलग्न साबिक नक्शा सन् 1941–42 (संवत 1997) अनुसार लाल रंग से प्रदर्शित क्षेत्रफल को खसरा नम्बर 92 में शामिल कर दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

बहस वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पैरोकार सरकार के जबाब का अवलोकन करने तथा बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम मानोता, पटवार हल्का मानोता, तहसील जमवारामगढ में स्थित उक्त वादांकित भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर 92 रकबा 1.2139है0 जिसके साबिक खसरान नम्बर 92 के हाल नक्शा तरमीम को मुताबिक रिपोर्ट साबिक नक्शें अनुसार तरमीम दुरूस्त कर नवीन नक्शा कायम किया जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 14.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़